DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 17 जनवरी 2023

कहां जाएं संजय कॉलोनी में रह रहे पाकिस्तान से आए ये शरणार्थी ?

■ एनबीटी न्यूज, भाटी माइंस

भाटी माइंस की संजय कॉलोनी में रह रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के सामने 'इधर कुआं उधर खाई' वाले हालात आ गए हैं। डीडीए ने भाटी माइंस को पिछले साल रिज एरिया घोषित कर दिया है। ऐसे में अक्टूबर-2019 को स्वीकृत हुई 1797 कॉलोनियों की लिस्ट से भी संजय कॉलोनी का नाम बाहर कर दिया गया है। अब इन शरणार्थियों को भी वहां रह रहे अन्य लोगों के साथ इलाका खाली करना पड़ेगा।

भाटी माइंस को रिज एरिया घोषित करने की वजह से खाली करने पड़ेगी ये जगह

ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर आए हैं। संजय कॉलोनी में उनका एक बड़ा मोहल्ला कई सालों में बस गया है। अधिसंख्य शरणार्थी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहे हैं। डीडीए की नई घोषणा के बाद उनको अपने रहने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रिज एरिया होने के कारण कॉलोनी खाली करनी पड़ेगी। ऐसे में वे कहां जाएं? उनका मानना है कि पाकिस्तान वापस जाना अब और खतरनाक हो सकता है। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि कहीं और घर खरीद सकें।

अक्टूबर-2019 को स्वीकृत हुई 1797 कॉलोनियों की लिस्ट से भी संजय कॉलोनी का नाम बाहर, लोगों को छोड़ना पड़ेगा इलाका

"1976 में कांग्रेस नेता संजय गांधी ने यह कॉलोनी बसाई। 1987 में प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 120 गज के पट्टे देकर बसाया गया। 2019 में कॉलोनी को फिर पास किया गया। अब अवैध कॉलोनी कहा जा रहा है। यह हमारे साथ गंदा मजाक है। – *दलीप कुमार*

"हमारी कॉलोनी को भाटी ग्राम सभा में शामिल किया था। 1983 के ग्राम सभा के चुनाव में 9 मेंबर और 1 उपप्रधान विजयी हुए थे। सरकार को उसी समय हमारी कॉलोनी को अवैध बता देना चाहिए था। उस गलती का खामियाजा हम शरणार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। – *अमीर चंद*

"कोर्ट में सरकार ने हमारे खिलाफ गलत तथ्य पेश किए। सही तथ्य कोर्ट में पेश नहीं किए गए। सरकार से विनती है कि कोर्ट में सही तथ्य पेश करके हिंदू शरणार्थी कॉलोनी को बचाया जाए। हमारा अधिकार दिया जाए जिस पर हमारा हक बनता है। – *श्रीचंद खत्री*

NBT नज़रिया

दूसरे देश से विस्थापित हमेशा इस तकलीफ में होते हैं कि वह अपना घर छोड़कर आए हैं। इस पीड़ा से मुक्ति तभी मिल सकती है जब उन्हें यहां वहां से बेहतर माहौल मिले। सरकारी एजेंसियां अगर नियम कानून के साथ थोड़ी संवेदनशील भी रहें तो यकीनन इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इनको ठीक से सुने जाने की जरूरत है।

IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

साकेत और नेहरू प्लेस में फुटपाथ पर गाड़ियों की पार्किंग, लोग परेशान

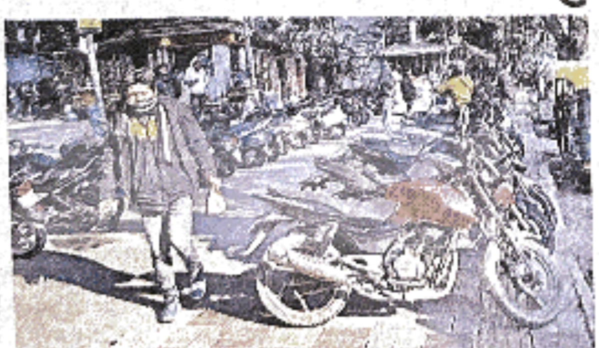

अनुपम पीवीआर कांप्लेक्स के फुटपाथ पर अवैध बाइक पार्किंग ● जागरण

शिवांगी वत्सी ● दक्षिणी दिल्ली

जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के चलते तमाम सार्वजनिक स्थलों की रंगाई-पुताई व अवैध अतिक्रमण हटाकर निखारने का काम किया जा रहा है, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के फुटपाथ पर हो रही अवैध पार्किंग पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई है। साकेत स्थित अनुपम पीवीआर कांप्लेक्स व एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस के फुटपाथ को पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम ने यहां के सभी फुटपाथ को पार्किंग स्थल में बदल दिया है। सिर्फ नेहरू प्लेस में रोजाना करीब 800 गाड़ियां पार्क करवाई जा रही हैं जबकि अनुपम पीवीआर कांप्लेक्स के बाहर दिनभर हजारों मोटरसाइकिलें पार्क करवाई जाती हैं। दोपहिया वाहनों से 10 रुपये प्रति घंटा और पांच घंटे से अधिक होने पर 50 रुपये जबकि चार पहिया वाहनों से 20 रुपये प्रति घंटा और पांच घंटे से अधिक होने पर 100 रुपये वसूले जाते हैं। दोनों जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था पहले से है। अनुपम पीवीआर कांप्लेक्स और नेहरू प्लेस में डीडीए व एमसीडी द्वारा पार्किंग की सुविधा दी गई है। यहां के व्यापारी व कामगार गाड़ियों की पार्किंग यहीं करते हैं लेकिन मार्केट में आने वाले खरीदारों की गाड़ी फुटपाथ पर पार्क करवाकर ठेकेदार पर्ची काट देते हैं। आकाश ने बताया कि वह अक्सर यहां फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करते हैं। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नेहरू प्लेस में पार्किंग की समस्या है इसलिए हेमकुंड टावर में मल्टीलेवल की पार्किंग बनाई जा रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, JANUARY 17, 2023 ---DATED---

13 plots allotted by DDA for schools still unused by DoE

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi government's Directorate of Education has over 13 unutillised plots across the city, cumulatively measuring over 59,000 square metres, where schools can be built. The DDA had allotted the land for building schools, the first time as far back as in 2015.

Government schools in Delhi saw the highest enrolment in 2022, with more than 18 lakh students on the rolls in 1,043 schools, an increase of over 30,000 against the previous year. At a time when enrolment in Delhi government schools has been increasing, new buildings have become necessary. Due to the lack of classrooms, many government schools run a double shift, the morning shift mostly for girls and the evening shift for boys.

The earliest pieces of land were allotted to DoE in Geeta Colony and Vasant Kunj in 2015. In Geeta Colony, the department got a 4,050sqm plot in July 2015 and three months later, it got the biggest among such allotments in Vasant Kunj with an area of 8,093.7sqm. There currently are three government schools in Geeta Colony in which close to 3,839 students study. Two of the schools have classes from nursery to Class XII. The third has class from VI onward. At Vasant Kunj, there are four schools at present, of which one is a Specialised School of Excellence.

When the Aam Aadmi Party came to power in 2015, it had promised to build over 500 schools and 20 new colleges. BJP, in the Opposition, has always alleged that no new schools have been built. However, Delhi government has, over the years, added classrooms to the already existing school. In the first phase, the government created around 20,000 classrooms and then erected another 12,000. AAP designated these new classrooms as the equivalent of constructing 537 new school buildings.

Of the other plots allotted by DDA to DoE, one in 2018 at Shahi Idgah, Sadar Bazar, measures around 1,600sqm. There are two schools on Idgah Road at the moment. In March 2021, DoE got an allotment in Rohini Phase V, covering an area of 4,001sqm.

The rest of the land lies mostly in different parts of Sector 41 Rohini and at Narela, which were allotted only last year. There are around 35 schools scattered in different sectors of Rohini, though not in Sector 41. At Narela there are close to 10 schools.

No official from the state government responded to **TOI**'s query on why the allotted land had not been utilised as yet.

NEED OF THE HOUR

Land allotted	Area (in sqm)	Allotment year
Geeta Colony	4,050	July 2015
Vasant Kunj	8,093.7	Oct 2015
Shahi Idgah	1,600	Dec 2018
Rohini Phase-V	4,001	Mar 2021
Shalimar Bagh, Block C & D	4,500	Jan 2022
Sector 41, Rohini	4,012.5	Feb 2022
Plot 1, Pocket CF3, Sec 41, Rohini	6,031	Feb 2022
Plot 2, Pocket CF1, Sec 41, Rohini	6,652.5	Aug 2022
Pocket CF2, Kirari, Sec 41, Rohini	6,020	Aug 2022
Sector A, Narela	2,000	Aug 2022
Sector A-10, Narela	4,185	Aug 2022
Pocket 1, Sector G7-G8, Narela	4,000	Aug 2022
Pocket 2, Sector G7-G8, Narela	4,000	Aug 2022

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला | नई दिल्ली | मंगलवार, 17 जनवरी 2023

DATED--

भागीरथ पैलेस के दुकानदारों को दी जाए राहत : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भागीरथ पैलेस अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों को उनकी दुकानों को फिर से बनाने की अनुमति देने की मांग की है। इसे लेकर एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा है कि डीडीए व एमसीडी पुनर्विकास योजना की विफलता की सजा दुकानदारों को ना दी जाए।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि पिछले साल 24 नवंबर को भीषण आग इस बाजार में लगी थी। 1962 से व्यापारिक क्षेत्र घोषित भागीरथ प्लेस की दो बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट हो गई और करीब 300 दुकानदार इससे प्रभावित हुए।

दिल्ली सरकार के शाहजहानाबाद रीडेवेलपमेंट कार्पोरेशन के प्रशासकीय अधिकारियों की संवेदनहीनता के चलते वह दुकानदार अब अपनी दुकानों का पुनर्निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। कपूर ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि भागीरथ प्लेस की दुर्घटना एक आपदा थी और जांच में भी ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया है, जिससे लगे कि यह कोई मानवीय कारणों से लगी आग है। पत्र की कॉपी उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष को भी भेजी है। ब्यूरो

दुकानदारों को शो-कॉज नोटिस भेजने की निंदा की

नई दिल्ली। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दुकानदारों को सीलिंग का नोटिस भेजे जाने की निंदा की है। सोमवार को दुकानदारों को शो-कॉज नोटिस भी भेजा गया। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि पहले 25 दुकानों को 10 महीने पुराने ऑर्डर और पुराने उपायुक्त के आदेश के आधार पर सील किया गया था, लेकिन सोमवार को नोटिस वर्तमान उपायुक्त ने जारी किया है। इस मामले में उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि अफसरों को मनमानी करने से रोके। मास्टर प्लान 2021 में सदर बाजार स्पेशल एरिया में आता था और यहां रिडेवेलपमेंट होना था। इसलिए स्पेशल एरिया में तो वैसे भी सीलिंग नहीं होनी चाहिए। सदर बाजार में 90 प्रतिशत कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, इसलिए ये पूरा बाजार ही कॉमर्शियल है, कुछ अलग-अलग एरिया को अलग से टारगेट करके सीलिंग करना उचित नहीं है। ब्यूरो

मंगलवार 17 जनवरी • 2023 | सहारा

अग्निकांड प्रभावित दुकानों के पुनर्निर्माण की इजाजत मिले : कपूर

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर मांग की है कि भागीरथ प्लेस में हुए अग्निकांड से प्रभावित 300 दुकानदारों को मरम्मत की इजाजत दी जाए। डीडीए एवं एमसीडी के री-डेवलपमेंट प्लान न ला पाने की सजा पुरानी दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। उप-राज्यपाल इसे आपदा मानकर धारा 2.0.1 के तहत पुर्निर्माण की अनुमति दें।

उप-राज्यपाल को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि यह घटना मानवीय चूक का नतीजा थी। प्रवक्ता के इसकी एक प्रति दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को भी भेजी है। पत्र के माध्यम से भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कैट के नेता प्रवीण खंडेलवाल एवं क्षेत्रीय पार्षद पुनरदीप सिंह साहनी से भी अपील की है कि वह इन दुकानदारों को अपना समर्थन दें। जिससे वह अपनी दुकानों का पुनर्वास कर कारोबार फिर से शुरू कर सकें।